<u>प्रकाशन हेतु अनुमोदित</u>

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर

रिट याचिका (सेवा) क्र**मांक 3044** वर्ष 2013

याचिकाकर्ता नेम साई उर्रे

बनाम

प्रत्यर्थी छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 2869/2013

याचिकाकर्ता राहुल दुबे

बनाम

प्रत्यर्थी छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 2892/2013

याचिकाकर्ता विजय कुमार सोनवानी

बनाम

प्रत्यर्थी छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य

रिट याचिका (सेवा)क्रमांक 2907 /2013

याचिकाकर्ता मदन राम सोनवानी छत्तीसगढ़

बनाम

प्रत्यर्थी राज्य और अन्य

रिट याचिका (सेवा)क्रमांक 2931 वर्ष 2013

याचिकाकर्ता विनोद दास

बनाम

प्रत्यर्थी छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य

रिट याचिका (सेवा)क्रमांक 3046 /2013

याचिकाकर्ता अरविंद कुमार

बनाम

प्रत्यर्थी छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य

रिट याचिका (सेवा)क्रमांक 3047/ 2013

याचिकाकर्ता सोमार साई

बनाम

प्रत्यर्थी छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

रिट याचिका (सेवा)क्रमांक 3199/2013

याचिकाकर्ता सुखबरन सिंह

बनाम

प्रत्यर्थी छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य

रिट याचिका (सेवा)क्रमांक 3200 वर्ष 2013

याचिकाकर्ता रामध्यान किंडो

बनाम

प्रत्यर्थी छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य

रिट याचिका (सेवा)क्रमांक 3201 वर्ष 2013

याचिकाकर्ता मन साई

बनाम

प्रत्यर्थी छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य

रिट याचिका (सेवा)क्रमांक 3269/2013

याचिकाकर्ता कौशल रजक

बनाम

प्रत्यर्थी छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य

रिट याचिका (सेवा)क्रमांक 3270 वर्ष 2013

याचिकाकर्ता रमेश कुमार सारथी

बनाम

प्रत्यर्थी छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

रिट याचिका (सेवा)क्रमांक 3603/2013

याचिकाकर्ता खिलेश्वर प्रजापति

बनाम

प्रत्यर्थी छत्तीसगढ़राज्य और अन्य

रिट याचिका (सेवा)क्रमांक 3612/2013

याचिकाकर्ता रामकुमार

बनाम

प्रत्यर्थी छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका (सेवा)क्रमांक 2909/2013

याचिकाकर्ता संजय कुमार सारथी

बनाम

प्रत्यर्थी छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य

रिट याचिका (सेवा)क्रमांक 3145/2013

याचिकाकर्ता बाली सिंह

बनाम

प्रत्यर्थी छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका (सेवा)क्रमांक 3146/2013

याचिकाकर्ता मनोज कुमार सैनी

बनाम

प्रत्यर्थी छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य

एकल पीठः माननीय न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उपस्थितः

याचिकाकर्तागण **के अधिवक्ताः श्री सी.जे.के.राव, श्री आशीष सुराना और श्री हरीश खुंटिया,**

।

राज्य की ओर सेः श्री वाई.एस.ठाकुर,उप महाधिवक्ता, ।

<u>मौखिक आदेश</u>

<u>(12 दिसंबर, 2013 को पारित)</u>

दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया ।

1.अपीलार्थीगण उस आदेश से व्यथित हैं जिसके तहत संबंधित पुलिस अधीक्षक द्वारा उनके चरित्र और पूर्ववृत्त के संबंध के सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद उन्हें होम गार्ड/नगर सैनिक के रूप में सेवाओ ं से मुक्त कर दिया गया है।

2 ख.मामलों के दो वर्ग हैं। एक वर्ग में सेवा में शामिल होने से पहले दांडिक पृष्ठभूमि का खुलासा न करने से संबंधित है और दूसरा वर्ग उन मामलों से संबंधित है जिनमें अपराध सेवा में शामिल होने के बाद किया गया है।

3. यह निर्विवाद है कि सभी अपीलार्थीगण को जिला कमांडेंट, होम गार्ड, सूरजपुर के कार्यालय में होम गार्ड/नगर सैनिक के रूप में नियुक्त किया गया है। चयन और कार्यभार ग्रहण करने के समय अपीलार्थीगण को कालम 12 में सत्यापन फॉर्म को निम्नलिखित तरीके से भरना आवश्यक था:-

12. (क) क्या आप कभी गिरफतार किये गये हैं क्या आप पर कभी अभियोजन चलाया गया है, क्या आप कभी निरूद्ध किये गये हैं, या आपसे मुचलके लिये गया है, आप पर जुर्माना किया गया है, क्या आप किसी अपराध के लिये न्यायालय द्वारा दोषी ठहराये गये हैं या आपको किसी भी लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित परिक्षाओ किये जाने वाले चयनों में सम्मिलित होने से वर्जित किया गया है उसके लिये अनहोनी ठहराया गया है, या क्या आपको किसी विश्वविद्यालय या किसी अन्य शैक्षणिक प्राधिकरण/संस्था द्वारा किसी भी परीक्षा में बैठने से वर्जित किया गया है। निषकाशित किया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

ख) क्या इस अनुप्रमाणन फॉर्म को भरते समय किसी भी न्यायालय विश्वविद्यालय या किसी भी शैक्षणिक प्राधिकरण संस्था में आपके विरूद्ध कोई मामला लंबित है, यदि (क) अथवा (ख) में पूछे गये प्रश्नों के संबंध में आपके उत्तर हॉ में हो तो आपकी इस अनुप्रमाणन फार्म भरते समय मामले गिरफतारी तथा उस फार्म को भरते समय न्यायालय विश्वविद्यालय शैक्षणिक प्राधिकरण आदि के समक्ष जो मामला लंबित हो उसका स्वरूप बतलाना चाहिये इस जानकारी के अतिरिक्त, जहॉ लागू हों वहॉ निम्नलिखित ब्यौरा भी दिये जायेंगे:-

एक) अपराध/आरोप

दो) पुलिस थाने में पंजीबद्ध

तीन) यदि न्यायलय में चालान प्रस्तुत किया गया हो तो न्यायालय का नाम

चार) मामले का क्र./न्याया.द्वारा उसका निपटारा किस तिथी को किया गया

पॉच) दिया गया दंड

छः) क्या दोषमुक्त कर दिया गया

सात) दोषमुक्त संदेह के लाभ पर आधारित थी या मामला वापस कि लिये गया था।

ग) क्या आप किसी ऐसे संग्राम या संगठन जो सरकार द्वारा विधी विरूद्ध घोषित किया गया था अथवा गया है। के सदस्य हैं, या उससे सहयोजित रहे हैं। यदि ऐसा हो तो, पूर्ण् विशिष्टयों दें जैसे संग्राम संगठन का नाम सदस्यता अथवा संबद्धता की कार्यवधि अवधि इत्यादि।

टिप्पणीः अभ्यर्थी अनुप्रमाणन फार्म के ऊपर दी गई चेतावनी नोट करें।

4.सभी अपीलार्थीगण ने भारतीय दंड संहिता (संक्षेप में भा.द.वि.) द्यूत अधिनियम या दंड प्रक्रिया संहिता (संक्षेप में दं.प्र.सं.) की धारा 107/116(3) के तहत किसी भी दांडिक मामले में लंबित होने का उल्लेख नहीं किया हालांकि,प्रक्रिया के अनुसार, उनके चरित्र और पूर्ववृत्त के सत्यापन के लिए मामला संबंधित पुलिस थाने को भेजा गया था।

5. जाँच करने पर यह पाया गया कि याचिकाकार्ताओ ं ने या तो भा.द.वि. या द्यूत अधिनियम के प्रावधानों के तहत कोई अपराध किया है या उनके खिलाफ दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 107/116(3) के तहत कार्यवाही की गई। चूंकि उन्होंने अपने खिलाफ उक्त दांडिक कार्यवाही के लंबित होने या शुरू होने की जानकारी नहीं दी हैं, इसलिए उन्हें परिवीक्षा अवधि के दौरान सेवा से मुक्त कर दिया गया है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

6. अपीलार्थीके विद्वान अधिवक्ता ने राज्य सरकार द्वारा 20.12.2007 को जारी परिपत्र, विशेष रूप से उसके अनुच्छेद 6 का हवाला देते हुए यह तर्क दिया कि उन मामलों में भी जहां उम्मीदवार द्वारा सूचना नहीं दी गई है, लेकिन अपराध में नैतिक अधमता शामिल नहीं है, पुलिस विभाग को पात्रता या अपात्रता के संबंध में अपने विवेक का प्रयोग करते हुए एक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कमिश्नर आफ पुलिस और अन्य बनाम संदीप कुमार मामले में दिए गए फैसले और इस न्यायालय द्वारा चुरेंद्र कुमार ध्रुव बनाम छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य मामले में दिए गए निर्णय का हवाला देते हुए, यह दृढ़तापूर्वक तर्क दिया गया है कि याचिकाकार्ताओ ं को नैतिक अधमता से संबंधित किसी भी अपराध के लिए कभी भी दोषी नहीं ठहराया गया है और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 107/116(3) के तहत कार्यवाही एक ठोस दांडिक अपराध की प्रकृति की नहीं है, इसलिए याचिकाकर्ता सेवा में बने रहने के हकदार हैं और आक्षेपित आदेश रदद किया जाना चाहिए।

7.दूसरी ओर, राज्य के विद्वान अधिवक्ता भारत संघ व अन्य बनाम विपद भंजन गायन में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय का अवलंब लिया है तथा यह तर्क दिया है कि वे मामले जिनमें उम्मीदवार ने ऎसा अपराध किया है जिसमें नैतिक दुराचार शामिल नहीं है, लेकिन उसने इसका खुलासा किया है, उन मामलों से भिन्न हैं जिनमें महत्वपूर्ण जानकारी छिपाई गई या रोकी गई थी। विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि ऎसे मामलों में यह सिद्धांत लागू नहीं होता कि अपराण में नैतिक दुराचार शामिल नहीं है, इसलिए अपीलार्थीगण द्वारा दिनांक 20.12.2007 के परिपत्र का उक्त भाग वर्तमान मामलों में लागू नहीं होता है।

8. संदीप कुमार (पूर्वोक्त) मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी की कि यह सच है कि आवेदन पत्र में प्रतिवादी ने यह उल्लेख नहीं किया है वह भा.द.वि की धारा 325/34 के तहत किसी दांडिक मामले में शामिल था। संभवतः उसने यह इसलिए नहीं बताया क्योंकि उसे डर था कि ऎसा करने पर वह स्वतः ही अयोग्य घोषित हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने आगे टिप्पणी की कि किसी भी स्थिति में यह हत्या, डकैती या बलात्कार जैसे गंभीर अपराध नहीं थे, इसलिए इस मामले में अधिक उदार दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9.हालांकि संदीप कुमार (पूर्वोक्त)मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय को वृहद पीठ को संदर्भित किया गया था, लेकिन उसके बाद से, देवेंद्र कुमार बनाम उत्तरांचल राज्य और अन्य मे मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना है कि गलत जानकारी देकर नियुक्ति प्राप्त करने का मुददा अब कोई अनिर्णित विधि नहीं है। प्रश्न यह नहीं है कि आवेदक पद के लिए उपयुक्त है या नहीं। किसी दांडिक मामले/कार्यवाही का लंबित होना, ऎसी लंबितता की जानकारी को छिपाने से भिन्न् है। किसी व्यक्ति के विरूद्ध लंबित मामला नैतिक अधमता का कारण नहीं हो सकता है, लेकिन इस जानकारी को छिपाना स्वयं नैतिक अधमता के समान है। वास्तव में, नियोक्ता द्वारा मांगी गई जानकारी का खुलासा न करना नैतिक अधमता का कारण बन सकता है। आवश्यकतानुसार कार्यवाई न करना निश्चित रूप से महत्वपूर्ण जानकारी को छिपाने के बराबर होगा। ऎसी स्थिति में, सेवा समाप्त की जा सकती है, भले ही आगे कोई मुकदमा न चला हो या संबंधित व्यक्ति को बरी कर दिया गया हो।

10. सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार, कोई व्यक्ति जिसने कोई गलत कार्य किया है, वह अपने ही गलत कार्य का लाभ उठाकर किसी सक्षम न्यायलय द्वारा वैध सुनवाई को बाधित करने के लिए

किसी विधि का हवाला नहीं दे सकता। ऐसे मामले में, यह कानूनी कहावत लागू होती हैः (अपने स्वयं के अपराध का लाभ उठाने की क्षमता)। कानून का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों को यह तर्क देने की अनुमति नहीं दी जा सकती कि उनके अपराध की जांच,सुनवाई या छानबीन नहीं की जा सकती (यूनियन आफ इंडिया बनाम मेजर जनरल मदन लाल यादव और लिली थॉमस बनाम यूनियन आफ इंडिया देखें) । न ही कोई व्यक्ति अपने स्वयं के गलत काम से उत्पन्न किसी अधिकार का दावा कर सकता है ।

11. पूर्वोक्त को देखते हुए, चूंकि यह स्वीकार किया जाता है कि अपीलार्थीगणं ने अपने पूर्ववृत्त और चरित्र के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी छिपाई है या रोकी है, इसलिए वे सेवा में बने रहने के हकदार नहीं है और परिवीक्षा अवधि के दौरान उनकी सेवामुक्ति किसी भी प्रकार से दोषपूर्ण या अवैध नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. परिणामस्वरूप, सभी रिट याचिकाएं सारहीन होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है,तदानुसार खारिज की जाती है। वाद के संबंध में कोई आदेश नहीं।

सही/-
प्रशांत कुमार मिश्रा
न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By ------------------ AMIT TIWARI